न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 09/2016 **(बाजदायरी प्रार्थना पत्र)**

उनवान

1. सुदर्शन पुत्र स्व0 श्री दीवानचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. सुबेद पुत्र स्व श्री दीवानचन्द जाति जाट ।
2. सुशील पुत्र स्व0 श्री दीवानचन्द जाति जाट ।
3. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री दीवानचन्द जाति जाट ।
4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री दीवानचन्द जाति जाट ।
5. सुनील पुत्र स्व0 श्री दीवानचन्द जाति जाट निवासीयान ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.....असल रेस्पो0/वादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री सचिन खत्री अभिभाषक अपीलांट ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–09.11.2017

यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दि0 22.11.2016 के तहत अपील अपीलांट अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज करने के उपरान्त अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । साथ ही इस न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि इस अपील में मूल वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय से तय हो गया है । इसलिए यह अपील अब चलने योग्य नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें ।

9.11.17

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना और इस न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने वक्त बहस जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया है । वर्तमान में इस बाजदायरी प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो वर्तमान स्तर पर अब प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए अपीलांट का बाजदायरी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.11.2016 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर